न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 72/2020

उनवान

1 श्योपाल पुत्र किशना जाति गुर्जर नि0 ग्राम माकडवाली, अजमेर
—— अपीलार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री महावीर टांक

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत ढाल, नसीराबाद
2. केली पत्नी किशना गुर्जर
3. रामलाल पुत्र किशना
4. मतिया पुत्री किशना
5. हेमा पुत्री किशना
6. शीला पुत्री किशना जाति गुर्जर नि0 माकडवाली, अजमेर
7. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— रेस्पोडेंटगण :– 2 से 6 जरियें अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गुर्जर
1 अनुपस्थित
7 जरियें राज0 पैरोकार

अपील अन्तर्गतधारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व ग्राम पंचायत ढाल प0स0 श्रीनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.06.2014 नामान्तकरण संख्या 438 को ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत करने के आदेश के विरूद्व अपील बाबत।

–: आदेश :– दिनांक :– 31.8.20

अधिवक्ता अपीलांट ने उक्त अपील पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट की सयुंक्त खातेदारी की आराजी ग्राम मण्डियानी के खाता संख्या 372/381 किता 9 रकबा 2.72 के रूप में स्थित है। उक्त आराजी पूर्व में किशना पुत्र सादुल कौम गुर्जर के नाम खातेदारी दर्ज थी। किशना की मृत्यु दिनांक 08.01.2012 को हो गयी। किशना के वारिस अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 है जिनके नाम नामान्तकरण संख्या 438 दिनांक 05.06.2014 द्वारा उक्त आराजी जरिये विरासत दर्ज की गयी। उक्त विरासत के नामान्तकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ग्राम पंचायत ने गलत एवं विधि विरूद्व तरीके से अपीलांट का नाम श्योपाल पुत्र किशना के स्थान पर सुखपाल पुत्र किशना दर्ज कर दिया। जबकि अपीलांट का वास्तविक व सही नाम श्योपाल पुत्र किशना ही है। अतः उक्त नामान्तकरण अपीलांट के हितों के विपरित होने से आराजी मुतनाजा पर अपीलांट का सही नाम अंकित करने के आदेश पारित करावे।
अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 ने अपील के समर्थन में स्वीकारोक्ति का जवाब पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजूद तामीली प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि अपीलांट अपनी अपील स्वयं सिद्व करे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.09.29 16:50:02 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण के तर्को पर मनन किया हाल खाता संख्या 372/381 किता 9 रकबा 2.72 की आराजी अपीलांट, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 व अन्य सहखातेदारों के नाम दर्ज है। पूर्व में उक्त आराजी किशना पुत्र सादुल व अन्य व्यक्तियों की सह खातेदारी में दर्ज थी। किशना पुत्र सादुल की मृत्यु होने से आराजी मुतनाज नामान्तकरण संख्या 438 दिनांक 05.06.2014 से अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 के ना जरियें विरासत दर्ज की गयी। उक्त नामान्तकरण ग्राम पंचायत ढाल द्वारा तस्दीक किया गया एवं नामान्तकरण में अंकित शजरा में अपीलांट का नाम सुखपाल ही अंकित है। किन्तु अपील द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत माकडवाली के प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि अपीलांट का नाम श्योपाल पुत्र किशना दर्ज है। उक्त नामान्तकरण बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 2 6 ने स्वीकारोक्ति पेश की है। सरपंच ग्राम पंचायत प्रकरण में उपस्थित नही है। एवं रा पैरोकार ने अपील का खण्डन नही किया है। अपीलांट का नाम हाल राजस्व अभिलेख में त्रुटि होने का निर्धारण नामान्तकरण की विस्तृत जांच के बाद ही संभव है।

अतः नामान्तकरण संख्या 438 पर दिनांक 05.06.2014 को पारित आदेश नि किया जाता है व उक्त नामान्तकरण तहसीलदार नसीराबाद के पास इस आशय से रिम किया जाता है कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट को विधिवत साक्ष्य व सुनवाई का उचित अवसर हुये आराजी मुतनाजा पर किशना पुत्र सादुल के वारिसों की व अपीलांट के सही नाम की कर नामान्तकरण पर नवीन निर्णय पारित करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.09.29 16:50:02 IST
Reason: SelfAttested